रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2016/कार्तिक 30, 1938
No. 415] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2016/KARTIKA 30, 1938

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2016

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9.— पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) (ठ), (ढ), (ण) और खंड (त) के साथ पठनीय धारा 52 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत:

1. इन विनियमों का नाम 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016' है।

2. ये राजपत्र में उनकी प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2015 में:-

(I) (i) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) के बाद निम्न को सन्निविष्ट किया जाएगा:

" परन्तु यह कि ऐसे संकलनकर्ता जो कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलनकर्ता) विनियम, 2015 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हैं, के लिए इस खंड के अंतर्गत अपेक्षित, न्यूनतम शाखाओं की संख्या की अपेक्षा लागू नहीं होगी, हालांकि अन्य सभी अपेक्षाएं लागू होगी।"

(ii) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के बाद निम्न को सन्निविष्ट किया जाएगा:

" परन्तु यह कि ऐसे संकलनर्ता जो कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (संकलकर्ता) विनियम, 2015 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हैं, के लिए न्यूनतम शुद्ध धन (समादत्त पूंजी जमा निःशुल्क आरक्षितियां) न्यूनतम एक करोड़ रूपये होगा, जिसके अंतर्गत ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को पच्चीस लाख रूपये की न्यूनतम चुकता पूंजी समाविष्ट होगी।"

हेमंत जी. कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III /4/असा./288/16(203)]

पाद टिप्पणी:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2015 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/3 के माध्यम से भारत के राजपत्र भाग- III खण्ड 4 में, 04 मार्च, 2015 को प्रकाशित किया गया।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2016

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (POINT OF PRESENCE) (FIRST AMENDMENT) REGULATIONS 2016

No.PFRDA/12/RGL/139/9 –In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (l) (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations 2015 namely:

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) (First Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations 2015:-

(I) (i) After clause (b) of sub-regulation (1) of regulation (4) the following shall be inserted:

"Provided that for Aggregators which are registered under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Aggregator) Regulations 2015, the requirement of minimum number of branches under this clause shall not be applicable, subject however that all other requirements shall apply."

(ii) After clause (c) of sub-regulation (1) of regulation (4) the following shall be inserted:

" Provided that for Aggregators which are registered under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Aggregator) Regulations 2015, the minimum net worth (paid up capital plus free reserves) shall be minimum of Rupees One crore, which shall include a minimum paid up capital of Rupees twenty five lakhs as on the last day of the immediately preceding financial year;

HEMANT G.CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./288/16(203)]

Footnote:

1. The principal regulations, Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India, Part III Section 4 on March 4, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/3.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.11.22 14:09:48 +05'30'